न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 63/2019

GCMS No-2019/000206

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. बाबुलाल पुत्र मोहनलाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स बीकानेर मावा भण्डार बाईपास जालोर रोड़ सुमेरपुर जिला पाली 2. नरपतसिंह भाटी पुत्र श्री मोहनसिंह भाटी मैसर्स आर.पी.इण्डस्ट्रीज कान्ता खतुरिया कॉलोनी बीकानेर 334001

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भुवनेश काबरा अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजे दिलवाई गई परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वह वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 29.10.2018 को दौराने गश्त मैसर्स बीकानेर मावा भण्डार बाईपास जालोर रोड़ सुमेरपुर पहुंचा तो वहां पर अप्रार्थी बाबुलाल पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा (मालिक व विक्रेता) उपस्थित मिला जो खाद्य पदार्थ सोनपपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) बिकी करते हुए पाया, जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया व परिचय पत्र दिखाया। विक्रेता से नाम पूछने पर अपना नाम बाबुलाल पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा बताया तथा मालिक (विक्रेता) होना बताया। प्रार्थी ने अप्रार्थी बाबुलाल की उपस्थिति में उनके गोदाम का निरीक्षण करने पर पाया कि 20 पैक पेकेट में सोन पपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) रखी हुई है जो आमजन को बिक्री के लिए रखी हुई थी, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर रखी हुई सोनपपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) मे से चार मूल पैकेट सोनपपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 200/–रूपये नकद मालिक (विक्रेता) को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा सोनपपड़ी के विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार नमूना पैकेट तैयार करके प्रत्येक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–831 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ने आर.पी.इण्डस्ट्रीज बीकानेर के बिल क्रमांक 440 दिनांक 22.10.2018 की प्रति पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से लिये गये नमूने को मेरे स्वयं के द्वारा दिनांक 31.10.2018 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/827/एक्ट/2018/846 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से लिये गये सोनपपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) का नमुना क्रमांक आर–831 Sub Standard and Mis Branded of Food and Standard Act-2006 पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Sub Standard and Misbranded सोनपपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 बाबुलाल की दुकान बीकानेर मावा भण्डार बाईपास जालोर रोड़ सुमेरपुर जिला पाली से नमुना क्रमांक आर–831 सोनपपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से सोनपपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./827/एक्ट/2018/846 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–831 को Sub Standard and Misbranded माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ सोनपपड़ी (श्री ओम बीकानेरी ब्राण्ड) Sub Standard and Misbranded अवमानक व मिथ्याछाप का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25,000/– रूपये व अप्रार्थी संख्या 2 पर 50,000/– रूपये अक्षरे कुल पिचहतर पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23-06-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली